

प्रेस-विज्ञप्तिथाना मुबारकपुरमहिला के साथ छेड़खानी व दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार

**पूर्व की घटना-** दिनांक 15.03.2023 को वादिनी मुकदमा द्वारा मा० न्यायालय आजमगढ़ में शिकायत किया था कि विपक्षी 1. इजहार पुत्र नजीर 2. गुड्डू पुत्र नईम निवासीगण मुश्तफाबाद थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ 3. एक व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा वादिनी के घर में घुसकर आवेदिका के साथ गलत व्यौहार किया, तथा गाली गुप्ता देते हुए मारपीट किये तथा जाते जाते धमकी भी दिये जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 130/2023 धारा 376,452,354ग,323,504,506 भादवि० पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

**गिरफ्तारी का विवरण-** आज दिनांक 20.03.2023 को निरीक्षक अपराध राकेश कुमार सिंह मय हमराह द्वारा उपरोक्त में सम्बन्धित वांछित अभियुक्त गुड्डू पुत्र नईम सा० मुश्तफाबाद थाना मुबारकपुर आजमगढ़ को उसके घर मुश्तफाबाद से समय करिब 07:30 बजे प्रातः गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

**अभियुक्त का नाम व पता-** गुड्डू पुत्र नईम सा० मुश्तफाबाद थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

**पंजीकृत अभियोग-** मु०अ०सं०- 130/2023 धारा- 376,452,354ग,323,504,506 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़  
**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -**

1. राकेश कुमार सिंह निरीक्षक अपराध थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।
2. हे०का० रजनिश कुलवंती थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोटथाना अतरौलियानाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

**पूर्व का विवरण-** दिनांक 15.03.2023 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादिनी की 17 वर्ष की नाबालिग लड़की को जितेन्द्र कुमार पुत्र निठुरी निवासी ग्राम मीरपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ बहलाफुसला कर अगवा कर लिया है तथा वादिनी द्वारा पूछने पर अभियुक्त के परिजनो 1.नगेन्द्र पुत्र निठुरी 2. निठुरी पुत्र लालसा 3. प्रेमा देवी पत्नी निठुरी निवासीगण मीरपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा गाली देते हुए व जान से मारने की धमकी दिया गया। जिसके संबन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 72/23 धारा 363/366/504/506 IPC पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

**गिरफ्तारी का विवरण:-** आज दिनांक 20.02.2023 को उ०नि० प्रभात चन्द्र पाठक मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त जितेन्द्र पुत्र निठुरी निवासी मीरपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को अतरौलिया रोडवेज से समय 11.00 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

**पंजीकृत अभियोग -** मु०अ०सं० 72/23 धारा 363/366/504/506 IPC थाना अतरौलिया, आजमगढ़।

**गिरफ्तार अभियुक्त-** जितेन्द्र कुमार पुत्र निठुरी निवासी ग्राम मीरपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ०नि० प्रभात चन्द्र पाठक थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
2. का० मुन्दन कुमार थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

प्रेस नोटथाना कोतवालीA.T.M. मशीन में कैश भरने में हेरा फेरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

**पूर्व की घटना** - दिनांक 08 -07-2021 को वादि मुकदमा ब्रिजेश सिंह ब्रान्च मैनेजर सी०एम०एस० इन्फोसिस्टम लि० 43, चन्द्रिकानगर सिगरा वाराणसी मो०नं० 8595933156 द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि ए०टी०एम० मशीन में कैश लोड करने वाले कर्मचारियो 1. नीरज कुमार सिंह पुत्र स्व० रामबचन सिंह ग्राम रामपुर पोस्ट सिंहपुर थाना मेहनगर जिला आजमगढ़ 2. अभिषेक चौरसिया पुत्र लालबहादुर चौरसिया ग्राम गोलाबाजार पोस्ट लालगंज थाना देवगाँव जिला आजमगढ़ द्वारा ए०टी०एम० मशीन में कैश जमा करने में हेराफेरी की गयी है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 204/21 धारा 420/409 भादवि० पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

**गिरफ्तारी का विवरण** - आज दिनांक 20.03.2023 को उ0नि0 शिवसागर यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अभियुक्त अभिषेक चौरसिया पुत्र लालबहादुर चौरसिया निवासी गोला बाजार थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ को रोडवेज तिराहे से समय करीब 11.35 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण** – अभिषेक चौरसिया पुत्र लालबहादुर चौरसिया निवासी गोला बाजार थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष।

**गिरफ्तारी करने वाले टीम का विवरण** –

उ0नि0 शिवसागर यादव थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

का0 अभिषेक कुमार थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

का0 सत्येन्द्र प्रजापति थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

**प्रेस नोट**

**थाना निजामाबाद**

**पुरानी रंजिश को लेकर मार – पिट करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार; लोहे की छड़ बरामद**

**पूर्व की घटना का विवरण** – दिनांक 19.03.2023 को वादी मुकदमा अरशद जमाल पुत्र स्व0 रईश अहमद निवासी फरिहा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि विपक्षियों 1. जिलेदार यादव उर्फ जेडी पुत्र रामनरेश यादव 2. गोलू यादव पुत्र रामनरेश यादव 3. मनीष कुमार पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात तथा 03 व्यक्ति अज्ञात द्वारा वादि पुरानी रंजिश को लेकर मारे-पीटे है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 123/23 धारा 323,308,34 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

**गिरफ्तारी का विवरण** – उप निरीक्षक मो0 शमशाद खां मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त जिलेदार यादव उर्फ जेडी पुत्र रामनरेश यादव निवासी फरिहा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को फरिहा चौराहे पर टेंपो स्टैंड के पास से समय करीब 10.45 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**पंजीकृत अभियोग** - मु0अ0सं0 123/23 धारा 323,308,34 भादवि थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-** जिलेदार यादव उर्फ जेडी पुत्र रामनरेश यादव निवासी फरिहा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़  
**अपराधिक इतिहास** –

1. मु0अ0सं0 81/19 धारा 147/283/504/506 भादवि
2. मु0अ0सं0 37/22 धारा 504/506 भादवि व 67 ए आईटी एक्ट
3. मु0अ0सं0 70/20 धारा 323/504/506 भादवि
4. 175/22 धारा 336 भादवि
5. मु0अ0सं0 150/19 धारा 323/504/506 भादवि व 3(1)ध, 3(1) द, 3(2)(va) sc/st act

**बरामदगी-** 01 लोह की छड़ ( 03 फीट लंबी)

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

उ0नि0 मो0 शमशाद खां थाना निजामाबाद, आजमगढ़।

का0 मुकेश विश्वकर्मा थाना निजामाबाद आजमगढ़।

**प्रेस विज्ञप्ति**

**थाना जीयनपुर**

**चोरी की मोटर साइकिल के साथ अभियुक्त गिरफ्तार; मोटर साइकिल बरामद**

**पूर्व की घटना का विवरण** - दिनांक 29-01-2023 को वादी मुकदमा नदीम अब्बास पुत्र अहमद मेहदी ग्राम खतीबपुर पो0 सगडी जनपद आजमगढ़ द्वारा थानास्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी के घर पर रखी मोटर साइकिल HF डिल्कस UP 50 CD 0843 को रात 8 बजे अज्ञात चोरो द्वारा चुरा ले जाया गया है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 178/2023 धारा 379 भादवि बनाम -1. अज्ञात चोर पंजीकृत कर विवेचना उ.नि. विक्रमादित्य सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है। दौरान विवेचना अभियुक्त 1. संतोष यादव पुत्र जयप्रकाश निवासी खतीबपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

**गिरफ्तारी का विवरण** – आज दिनांक - 20/03/2023 को उ.नि. शंकर कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त संतोष यादव पुत्र जयप्रकाश निवासी खतीबपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ को बागखालिस बाजार से समय करीब 13.05 बजे

गिरफ्तार किया गया जिसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल नं0 UP50 CD0843 बरामद हुआ उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त** -1. संतोष यादव पुत्र जयप्रकाश निवासी खतीबपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़।

**बरामदगी** – 01 मोटरसाइकिल नं0 UP50CD0843

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –**

1. प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय थाना कोतवाली जीयनपुर, आजमगढ़
2. उ.नि. शंकर कुमार यादव थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़।
3. का0 जितेन्द्र यादव थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़।
4. का0 का0 अजय कुमार शर्मा थाना कोतवाली जीयनपुर जनपद आजमगढ़
5. म0का0 अन्नू यादव थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़।

### प्रेस विज्ञप्ति

#### थाना मुबारकपुर

#### जिलाबदर अभियुक्त अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

**पूर्व की घटना** – थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 279/2020 धारा 272,273 भादवि व 60 आबकारी अधि0 में वाद संख्या 492/2022 धारा 3(1) उ0प्र0 गुण्डागर्दी नियंत्रण अधि0 1970 के अन्तर्गत अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन आजमगढ़ के आदेश दिनांक 23.12.2022 द्वारा 06 माह के लिए जनपद की सीमाओ को छोड़कर बाहर रहने और जनपद की सीमा में प्रवेश न करने के लिए आदेश पारित हुआ परन्तु जिलाबदर अभियुक्त आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होकर जनपद के सीमा क्षेत्र में अपराध कारित करने के फिराक में था कि उक्त के क्रम में -

➔ आज दिनांक 19.03.2023 को उ0नि0 राजीव कुमार सिंह मय हमराह द्वारा जिलाबदर आपराधी अभियुक्त फैजुल हक अंसारी अहमद पुत्र रियाज सा0 मुहल्ला पुरादुल्हन थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को टड़िया तिराहे के पास से 01 अवैध तमंचा .315 बोर व 01 अदद कारतूस .315 बोर के साथ समय करीब 08.00 बजे प्रातः गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्त:- फैजुल हक अंसारी अहमद पुत्र रियाज सा0 मुहल्ला पुरादुल्हन थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

**बरामदगी:-** अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामदगी की गई।

#### पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 141/2023 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर

मु0अ0सं0- 142/2023 धारा- 10 उ0प्र0 गुण्डागर्दी नियंत्रण अधिनियम 1970 थाना मुबारकपुर

#### आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0 279/2020 धारा 272,273 भादवि व 60 आबकारी अधि0 थाना मुबारकपुर

मु0अ0सं0- 141/2023 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर

मु0अ0सं0- 142/2023 धारा- 10 उ0प्र0 गुण्डागर्दी नियंत्रण अधिनियम 1970 थाना मुबारकपुर

#### गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह चौकी प्रभारी कस्बा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 रविन्द्र सिंह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
3. हे0का0 सुधीर कुमार थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
4. का0 सद्दाम हुसैन अंसारी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

### प्रेस नोट

#### थाना फूलपुर

#### बाबत गिरफ्तारी एक नफर वांछित अभियुक्त लडकी के साथ छेडकानी करने से सम्बन्धित

**पूर्व की घटना का विवरण-** दिनांक 17-03-2023 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि पुरानी रंजिश व मुकदमें की बात को लेकर विपक्षीयों द्वारा वादी की नाबालिग लडकी के साथ छेडखानी कर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया व जान से मारने की धमकी दी गयी जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 116/23 धारा 354 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट व एसी एसटी एक्ट बनाम रोशन यादव पुत्र रुदल इटकोहिया थाना फूलपुर जिला आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण – आज दिनांक 20.03.2023 को उ0नि0 जयप्रकाश मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रोशन यादव पुत्र रूदल यादव सा0 इटकोहिया थाना फूलपुर आजमगढ़ को अम्बारी चौराहे से समय करीब 11:05 बजे दिन में गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त- रोशन यादव पुत्र रूदल यादव सा0 इटकोहिया थाना फूलपुर आजमगढ़  
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 जयप्रकाश थाना फूलपुर आजमगढ़
2. का0 धर्मेश वर्मा थाना फूलपुर आजमगढ़
3. म0का0 प्रीती तिवारी थाना फूलपुर आजमगढ़